जयपुर

क्रमांकः फा. 15(7)सविरा/नियम/जनरल सेवानियम/89 पार्ट–6 दिनांक 3/5/2013

आदेश

राज्य की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों में कार्यरत कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) का एक से दूसरी संस्था में प्रतिनियुक्ति हेतु समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक सोसाइटी स्वयं में एक पृथक निकाय है। भिन्न–भिन्न सहकारी सोसाइटियों के कार्मिकों की सेवायें सम्बन्धित सोसाइटी की सेवायें होने के कारण प्रतिनियुक्ति इनमें सामान्य प्रक्रिया नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध में विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा सम्बन्धित कार्मिकों की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शक बिन्दु निर्धारित किया जाना उचित समझा गया है :–

1. कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति केवल समान कार्य प्रणाली वाली एवं समान वर्ग (यथा प्राथमिक/केन्द्रीय/शीर्ष) की संस्थाओं के मध्य ही हो सकेगी।
2. किसी एक सहकारी सोसाइटी से अन्य सोसाइटी में कार्मिक की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक है कि दोनों सोसाइटियों के संचालक मण्डल द्वारा इस हेतु संबंधित कार्मिक की सेवाएँ देने/लेने के सम्बन्ध में सहमति प्रस्ताव पारित कर विभाग को भिजवाया जावे। रजिस्ट्रार की सहमति के पश्चात् ही कर्मचारी से सम्बन्धित मूल संस्था प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करेगी।
3. ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करने से पूर्व सम्बन्धित संस्था का संचालक मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पैतृक संस्था में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है।
4. जिस संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक चाहा गया है, वहां पर उसी कैडर का सीधी भर्ती का पद रिक्त होना आवश्यक है।
5. जिस संस्था द्वारा कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर अन्य संस्था में भेजा गया है, उस कार्मिक के जाने से पैतृक संस्था में वह पद रिक्त नहीं माना जावेगा।
6. प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि के पैंशन/ग्रेच्युटी, पी.एफ. आदि का भुगतान उस संस्था द्वारा किया जावेगा, जिसमें कार्मिक प्रतिनियुक्त है।
7. कार्मिक का मूल वेतन पैतृक संस्था के अनुसार देय होगा, जबकि मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, शहरी भत्ता, चिकित्सा सुविधा जिस संस्था में कार्मिक प्रतिनियुक्त है, उस संस्था के नियमानुसार जो भी कर्मचारी को अधिक लाभदायक हो, प्राप्त कर सकेगा।
8. किसी कार्मिक की प्रतिनियुक्ति से पूर्व पैतृक संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्मिक के विरूद्व कोई अनुशासनात्मक/धारा 57 की कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
9. किसी कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष होगी, जिसे दोनों संस्थाओं की सहमति पर रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम दो बार क्रमशः एक–एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु प्रतिनियुक्ति अवधि

पृ॰

बढ़ाने के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व प्रकरण रजिस्ट्रार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

10. कार्मिक जिस संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उस संस्था में उसके पद के समकक्ष कार्यरत अन्य कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जिस अधिकारी के स्तर से प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी अंकित की जाती है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक द्वारा भी उसी अधिकारी को अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित कर दिये जाने के पश्चात् कार्मिक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उसकी पैतृक संस्था को प्रेषित किया जायेगा।

किसी कार्मिक के आवेदन पत्र पर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्ताव उक्त शर्तों की पालना के पश्चात् ही सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी की सिफारिश के साथ विभाग को प्रेषित किये जा सकेंगे तथा कोई भी प्रतिनियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी हो सकेगी।

(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः फा. 15(7)सविरा/नियम/जनरल सेवानियम/89 पार्ट–6 दिनांक 3/5/2013

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, शीर्ष संस्थायें (समस्त)।
5. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (समस्त)
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां .....खण्ड (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त आदेश अपने कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां .....इकाई (समस्त)
8. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार